राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4900/2022

नवीन कुमार झामरवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सविचालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. गंगाधर मीणा उर्दू साहित्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगधर डग झालावाड।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.09.2022
आदेश की दिनांक : 04.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– एम.एस काला, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) उर्दू साहित्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीदडा, निवाई जिला टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगधर डग, जिला झालावाड़ में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है अपीलार्थी की विधवा वृद्ध मां मधुमेह, थायराइड से पीड़ित है, और जयपुर में दो नाबालिग बच्चों की स्कूली शिक्षा भी है तथा अपीलार्थी परिवार की देखभाल करने वाला एक मात्र सदस्य है इसलिए परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है एवं अपीलार्थी का स्थानान्तरण 360 कि.मी. दूर किया गया है, निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को संमजित करने के उद्देश्य से उक्त आदेश जारी किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य

है तथा अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी को उसके स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की इच्छा को पूरा करने के लिए परेशान किया गया है, इसलिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण दुर्भावनापूर्ण है तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को टीए.डीए. भी नहीं दिया गया, जबकि अपीलार्थी को दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने के उद्देश्य से उक्त आदेश जारी किया गया है अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरंतर व्याख्याता (स्कूली शिक्षा) उर्दू साहित्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीदडा, निवाई जिला टोंक में कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय

से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(एम.एस.काला)
सदस्य